Title: Reservation in promotions for Scheduled Castes and Scheudled Tribes in Government Service.

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण नीति का सर्वनाश जो वर्तमान सरकार ने किया है, उसके रहते हुए आज देश भर के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है।

12.55 ण्द्धद्म (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन पर देश के कोने-कोने में अत्याचार हो रहे हैं। अथोरिटीज को यह आभास होने लगा है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति के प्रति पूरी तरह डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। मुझे याद है 19 दिसम्बर, 2000 को हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन जी ने सदन में एक वक्तव्य दिया था, जब हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था। यह प्रश्न किसी पार्टी या पक्ष का नहीं है, यह राट्रीय प्रश्न है।

इस मुद्दे को लेकर सभी दल एक हैं। उस दिन भी इसी तरह सभी दलों की ओर से यह मुद्दा उठाया गया था और हमारे प्रमोद महाजन जी ने संवेदना दिखाते हुए यह वक्तव्य दिया था। Responding to the Members concerned, the hon. Minister of Parliamentary Affairs, Shri Pramod Mahajan remarked. In this regard, I want to quote from the Press, *The Times of India.* It says:

> "The Parliamentary Affairs Minister, Shri Pramod Mahajan remarked that five official memoranda issued in 1997 virtually stopping the reservation in promotions had created hurdled in the implementation of policy. He agreed that though the official memoranda have been withdrawn and the Parliament has passed the Constitution Amendment Bills providing for job reservation, the message has not been filtered down and there were anomalies in the implementation of the policy. He further said that 'I will convey the feelings of the whole House to the hon. Prime Minister. Efforts would be made to ensure that bottlenecks regarding implementationâ€¦(*Interruptions*) "

I am quoting only what Shri Pramod Mahajan said. â€¦(I*nterruptions*) एक साल पहले का दिया हुआ है।â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ratilal Kalidas Varma, let him complete. ...(*Interruptions*)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : मैं भी इसी तरह से पढ़कर बोल रहा था।â€¦(व्यवधान) तब रामजीलाल सुमन जी मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे।â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Let him complete....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Ratilal Kalidas Varma, please resume your seat....(*Interruptions*)

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने वादा किया था कि आप बागपत के सवाल को शून्यकाल में उठाने देंगे।â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Let him complete first.

SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): Sir, these people are always disturbing the House. We are not getting any chance to raise our issuesâ€¦ (*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, please take your seat. Let him complete first....(*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष जी, आप हमें बागपत पर बोलने दीजिए। â€¦(व्यवधान) आप समाजवादी पार्टी के लोगों को सदन से निकाल दीजिए। हम जनता के बल पर â€¦(व्यवधान) यह गलत बात है।â€¦(व्यवधान) इस तरह का भेदभाव सदन में नहीं चलेगा। वहां पर चार-चार लोग मारे जा चुके हैं।â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh, please take your seat. Otherwise, I will have to name you. There has to be some limit.â€¦ (*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : हमने कार्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी हुई है। â€¦(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Renu Kumari, you also resume your seat....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri T. Govinden, I am trying to conduct the business of the House. Please take your seat....(*Interruptions*)

SHRI T. GOVINDAN : Sir, everyday I have been giving notices to raise my issue during 'Zero Hour' but these people are always disturbing the House. How can I get a chance to speak?...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: You are correct....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: I am trying to conduct the business of the House....(*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The hon. Members are upset. In spite of giving prior notices, they are not being able to speak...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: All sections of the House must understand it. How can we run the House if everyday Members are creating disturbances?â€¦ (*Interruptions*)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रात: काल अध्यक्ष महोदय और आपके नेतृत्व में हम सब लोग बैठे थे और प्रयास यह हो रहा था कि हम लोग शांति पूर्वक इस सदन को चलाएं ताकि बाहर इस सदन की मर्यादा पर जो आंच लग रही है, वह न लगने पाये और इसी दृटि से मैंने उस सवाल को उस रूप में उठाया। मैं नहीं जानता था कि फिर उस पर विवाद होगा और वह विवाद उस हद तक पहुंचेगा कि दूसरे सदस्यों की किसी टिप्पणी पर कोई इतना नाराज हो जाएगा। सोमनाथ दा ने जो कहा, उससे मैं सहमत हूं या नहीं सहमत हूं, अगर उन्होंने कहा कि अपराधी राजनीतिज्ञ हैं तो निरपराधी अगर प्रमोद महाजन ने कह दिया तो दूसरी तरफ से हल्ला क्यों हो रहा है? â€¦ (व्यवधान) अभी अखिलेश ने यह सवाल बागपत का कल से उठा रखा है,â€¦ (व्यवधान)

13.00 hrs.

और अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जीरो आवर में उनको बोलने की इजाजत देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा, उनको नहीं देंगे।

श्री चन्द्रशेखर : मैं यह कह रहा हूं, चूंकि आपने माननीय बूटा सिंह जी को बुला लिया है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप बूटा सिंह जी की बात को सुन लें। उनके बाद आप अखिलेश सिंह या उनकी पार्टी के जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं, â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mandal, hon. Chandra Shekhar is on his legs....(*Interruptions*)

श्री चन्द्रशेखर : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों की आदत पड़ गई है कि किसी को भी चुप करा देंगे। यह बहुत बुरा ढंग है। इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समितियों की मीटिंग में नहीं जाता हूं। जब अध्यक्ष जी की ओर से आज्ञा होती है, तो मैं जाता हूं। लेकिन कुछ लोग सदन में हो-हल्ला मचाना ही संसदीय परम्पराओं का निर्वहन समझते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बूटा सिंह जी के बाद अखिलेश सिंह जी की बात को सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : उनको मौका देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्राद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, जो प्रातःकाल कहा है, चन्द्रशेखर जी ने बिलुकल ठीक कहा है। मैं उनसे सहमत हूं, सभी को अवसर मिले। दूसरी बात भी तय हुई थी कि हर सदस्य अपने स्थान से ही बोले। मुझे लगता है, आज से ही उस नियम का पालन हो। जिसको जो सीट मिली है, वह वहीं से बोले। सीट छोड़कर न बोले। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get a chance provided you keep quiet. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Madam, if you want to have a chance to speak, you will have to keep quiet. ...(*Interruptions*)

सरदार बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे को मैंने उठाया है, वह विवाद का मुद्दा नहीं है। यह राट्रीय मुद्दा है। इस मद्दे पर सदन के सभी सदस्य सर्वसम्मति से पक्ष में हैं। मैं सबसे पहले प्रमोद महाजन जी से कहना चाहूंगा - श्रीमान्, एक साल पहले समूची भारत सरकार की ओर से आपने आश्वासन दिया था, लेकिन वह आश वासन आज तक मूक आश्वासन ही बना रहा है। उस पर क्या कार्रवाई हुई है? वैसे आप प्रधान मंत्री जी से 17 बार मिलते हैं, लेकिन हमारे लिए एक बार भी नहीं मिले। क्या हम गरीबों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बातचीत करने का मौका नहीं मिला। â€¦ (व्यवधान) मैं उसी अहम मुद्दे पर अपनी बात कह कर दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं और न ही किसी बहस में पड़ना चाहता हूं। मैं केवल मुद्दे को उठाकर छोड़ देना चाहता हूं, ताकि हमारे प्रहरी, हमारे दोस्त, हमारे मेहरबान, प्रमोद महाजन जी हमारी मदद कर सकें। प्रमोद महाजन जी आपको मालूम है, भारत सरकार के डिपार्टमेंट आफ पर्सोनेल ने जो देश भर में सात पत्र लिखकर जो रिजर्वेशन की नीति खत्म कर दिया है, मैं सिर्फ उनका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं उनको पढ़ूंगा नहीं। पहला पत्र 30 जनवरी, 1997 को लिखा गया । उसमें कहा गया है -

> "Scheduled Castes and Scheduled Tribes, promoted against the reserved vacancies, will hereafter not be in a position to demand any excess work from those working under them because they will one day become senior to these people because of this OM."

इसका कुप्रभाव हुआ, लेकिन सरकार ने क्या एक्शन लिया - "Nothing has been done by the Government to withdraw this nefarious OM." दूसरा पत्र 2 जुलाई, 1997 को लिखा गया, जिससे आरक्षण नीति की जड़ें ही काट दी गईं । उसमें कहा गया है -

> "A new Roaster System has been silently introduced reducing the percentage of posts reserved for both Scheduled Castes and Scheduled Tribes. "

प्रमोद महाजन जी, बतायें, इसमें क्या कार्रवाई हुई - "Nothing has been done by the Government of India to amend this OM to reintroduce earlier roaster system provided for the posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and a new vacancy-based system has been introduced which is detrimental to the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes." इसी प्रकार तीसरा पत्र 22 जुलाई, 1997 को लिखा गया ।

महोदय, मैं भारत सरकार के पत्र का उल्लेख कर रहा हूं। आप चाहें तो मैं इसे टेबल पर रख देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़िए।

सरदार बूटा सिंह : 22 जुलाई, 1997 को लिखे गए पत्र के तहतâ€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे टेबल पर रख दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : आप आज्ञा दें तो मैं टेबल पर रख दूंगा।â€¦ (व्यवधान) इसका कुप्रभाव यह हुआ कि भारत सरकार ने दो संशोधन हमारे संविधान में किए। उन संशोधनों से दलितों को फायदा हो सकता था, परन्तु वह संशोधन भारत सरकार ने केवल चंद विभागों तक भेजे हैं।â€¦ (व्यवधान)

SHRI PRAVIN RASHTRAPAL (PATAN): Sir, it is a question of life and death for us...(*Interruptions*)

सरदार बूटा सिंह : इसका कुप्रभाव यह हुआ कि जो दो संशोधन भारत सरकार ने किए, ये दोनों सदनों में पास हुए। इन्हें लागू नहीं किया गया। भारत सरकार के खुद के विभाग में - पब्लिक अंडरटैकिंग्स, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस और जितने भी हिन्दुस्तान में मेज़र और माइनर पोर्ट्स हैं, पी एंड टी, बैंकिंग में कहीं भी वह कांस्टीट्यूशन की अमेंडमेंट का असर उन विभागों में नहीं पहुंचा है। केवल चंद विभागों में उसे नोटिफाई किया गया।â€¦ (व्यवधान) उस नोटिफिकेशन का जो असर होना चाहिए था वह नहीं हुआ। इससे कहीं ज्यादा हिन्दुस्तान की 26-27 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में भी कांस्टीट्यूशन के ऊपर आज तक अमल नहीं किया गया। अच्छा होता अगर प्रधान मंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों की कांफ्रेंस बुलाते और उन्हें जाहिर करते कि हमने संविधान का संशोधन कर दिया।â€¦ (व्यवधान) आप क्या बात कर रहे हैं, आपको यह अच्छा नहीं लगता।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Govindan, please resume your seat. ...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why are you disturbing the House? Now, you keep quiet and let there be peace in the House. ...(*Interruptions*)

सरदार बूटा सिंह : प्रधान मंत्री जी सब को इस बात की जानकारी देते और कहते कि भारत सरकार का निश्चय है कि ये दोनों संविधान की अमेंडमेंट को केरी होना चाहिए तो कोई भी राज्य सरकार रास्ते में नहीं आ सकती थी। आज मेरा वर्तमान भारत सरकार के ऊपर यह चार्ज है कि उन्होंने किसी भी राज्य सरकार को ऐसा पत्र नहीं लिखा। नतीजे के तौर पर सभी राज्य सरकारें अभी भी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को लागू कर रही है, जिसकी वजह से दलितों और आदिवासियों की आरक्षण नीति का खात्मा हुआ। ये जितने भी ऑफिशियल मेमोरेंडा हैं, मेरे बहुत से साथी आग्रह कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से इन्हें टेबल पर रखना चाहूंगा। आज देश के सामने जो बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि दलितों के लिए आरक्षण नीति हमारा फंडामेंटल राइट है, उसे करटेल नहीं किया जा सकता। मुझे दुख है कि सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लासेस के इशु को लेकर जो फैसला दिया उसमें दलितों को नुमाइंदा नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और फैसले के अंत में लिख दिया -

"This is the law of the land."

Is the Supreme Court's judgement that this is the law of the land more important than the Fundamental Right of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? I want to ask this question from the present Government.

महोदय, हमारा आग्रह यह है कि आज हमारी संख्या के मुताबिक जो रिजर्वेशन का कोटा बनता है, यह 50 साल पहले का, पता नहीं कब का कोटा एस्टेब्लिश हुआ। आज 1991 के सेंसस के मुताबिक 27.5 प्रतिशत होना चाहिए।â€¦ (व्यवधान) मैं कांस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं।

महोदय, तीन मुद्दे बाकी हैं, मैं उन तीनों मुद्दों का जिक्र करूंगा। संसद की चुनी हुई कमेटी ने - पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एससी, एसटी, जिसके अध्यक्ष बीजेपी के हैं। उन्होंने फैसला किया है कि -

ज्यूडिशरी और आर्मी में रिजर्वेशन होना चाहिए।

तीसरा, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स प्राइवेट होती जा रही हैं और जिन पर भारत सरकार का बहुत पैसा लगा हुआ है उनमें भी रिजर्वेशन की नीति लागू होनी चाहिए। आपने वचन दिया है और प्रधान मंत्री जी ने भी कहा कि एक नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन बनेगा। उस ज्यूडिशरी कमीशन में दलितों और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ज्यूडिशरी में रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। हमारा यह भी अनुरोध है कि जब भी आप टेलीफोन्स के रिजर्वेशन का फैसला करें तो भगवान के लिए उसको बैकवर्ड के साथ मत जोड़िये। आप अलग से बैकवर्ड क्लॉस को दीजिए, हम उसके विरोध में नहीं हैं। लेकिन एससीएसटी का जो प्रश्न है वह हमारा फंडामेटल राइट का प्रश्न है, इसलिए उनके लिए अलग से नीति बनाइये और उस नीति में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। यही मेरी विनती है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हमारा भी निवेदन इसी विय में है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम आपको इस विय के साथ एसोसिएट करने के लिए एलाऊ करते हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : आज जो बूटासिंह जी ने नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन बनाने और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज् की बहाली में बैकवर्ड क्लास और एससीएसटी के रिजर्वेशन का प्रश्न उठाया है, उसी संबंध में जंतर-मंतर पर राट्रीय जनता दल का बड़ा भारी धरना है। वहां के मंत्री रमाकांत उसमें शामिल हैं और बहुत भारी प्रदर्शन वहां हो रहा है। नेशनल ज्यूडिशरी कमीशन और जजों की बहाली में आरक्षण के लिए जो बूटासिंह जी ने प्रश्न उठाया है, उस पर उन्हें हमारा समर्थन है और इस पर सरकार विचार करे।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : बूटासिंह जी ने जो सवाल उठाया है.........(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister's response. *(Interruptions) *â€¦*

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य बूटासिंह जी ने जो मुद्दा उठाया हैâ€¦ (व्यवधान) मैं आपकी सपोर्ट में भी आ रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : हजारों लोगों के और दलितों के ये हत्यारें हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : चूंकि यह दलितों का प्रश्न है और सभी दलों के संसद सदस्य चाहे वे किसी भी दल के हों, आदिवासी हों, वे मानसिक रूप से इस प्रश्न से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं ज्यादा राजनीति नहीं लाना चाहता हूं। ज्यादा मैंने इसलिए कहा है कि शुरू में ही माननीय बूटा सिंह जी ने कहा कि वर्तमान सरकार दलित ि वरोधी है।â€¦ (व्यवधान) सबसे पहले मैं यह स्पट करना चाहता हूं कि जिन पांच सरकारी परिपत्रों की चर्चा हो रही है वे हमारी सरकार की ओर से जारी किए गये

परिपत्र नहीं हैं। ये परिपत्र उस सरकार ने जारी किये जिसमें माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी मंत्री थे।

(* Not Recorded.)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ज्यूडिशरी का फैसला था।

श्री प्रमोद महाजन : अब आपको ज्यूडिशरी के फैसले का ध्यान आया। स्वयं रघुवंश प्रसाद जी जिसमें मंत्री थे और जिसको बूटासिंह जी की पार्टी का समर्थन था, उस यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने ये पांच परिपत्र जारी किये थे।

अगर दलितों पर पांच परिपत्रों के कारण अत्याचार हुआ है तो उसके लिए संयुक्त मोर्चा की सरकार और उसकी समर्थक पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। हमारी सरकार इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। उल्टा हमारी सरकार के आने के बाद हमने इन परिपत्रों का अध्ययन किया। हमने कहा कि भले ही उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया हो लेकिन एनडीए का यह विचार है कि दलितों के आरक्षण की रक्षा होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर होनी चाहिए और अगर उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कोई फैसला दिया है तो संसद कानून बदल कर उसे बदलेगी लेकिन दलितों के आरक्षण पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। यह फैसला हमने किया। जहां तक पांच परिपत्रों की बात है, मुझे याद है एक को सरकार ने खुद वापस लिया जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। दूसरे के लिए हमने संविधान में संशोधन करके उस परिपत्र को वापस लिया। मैं बूटा सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। उनकी यह शिकायत है कि संविधान में संशोधन होने के बाद भी कुछ राज्य सरकारें उसे न मानते हुए पुराने फैसले को इम्पलीमैंट कर रही हैं। ऐसा करके वह गलत कर रही हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे कौन सी राज्य सरकारें हैं, मुझे मालूम नहीं लेकिन देश में सबसे ज्यादा राज्य सरकारें यानी 11 कांग्रेस की ही हैं। इनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो बूटा सिंह जी हमें जरूर सलाह दें, हम पूरे आदर के साथ उनकी सलाह को प्रधान मंत्री तक ले जाएंगे लेकिन वह अपने दल को भी सलाह दें जिस के 11 मुख्यमंत्री हैं, कि वे भी इनका क्रियान्वयन करें। रहा सवाल और दो परिपत्रों का। â€¦ (व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : आप इस बारे में राज्य सरकारों को क्यों नहीं लिखते हैं?â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजनः मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को संविधान के अनुसार काम करने के लिए प्रधान मंत्री के पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अभी माननीय सदस्य ने यह जानकारी दी है तो मैं प्रधान मंत्री जी से कह दूंगा कि वह आपके पत्र के बिना संविधान को नहीं मानते हैं। â€¦ (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंहः जब सभी कांग्रेसी सरकारें थीं, उस समय भी प्रधान मंत्री इस बारे में लिखते थे।

â€¦ (व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया : आप क्यों लिखना नहीं चाहते?

श्री प्रमोद महाजनः यह आपकी विरासत है। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair. ...(*Interruptions*)

श्री प्रमोद महाजनः बाकी बचे जो परिपत्र हैं, उनमें भी संविधान संशोधन की आवश्यकता है। मैं 17 बार मिलता हूं और 70 बार भी मिलता हूं। मैंने इस विाय पर सदन में कहा है। मुझे जब एनडीए और आपकी पार्टी के कई सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिले तो मैंने कहा कि केवल सदन में आश्वासन दिया है इसलिए नहीं, मैं मन से यह मानता हूं कि ये सारे परिपत्र हटने चाहिए और आरक्षण में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसी श्रद्धा के कारण चार दिन पहले प्रधान मंत्री की डीओपीटी से बात हुई। उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता है। उसे करने की दृटि से डीओपीटी और कानून मंत्रालय मिल कर काम कर रहे हैं। â€¦ (व्यवधान) आप जो कह रहे हैं, मैं उसे सदन में नहीं कहूंगा वरना दिक्कत होगी। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। उस समस्या के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। आप मुझे बाद में मिलिए। जैसे दलित हैं वैसे ही समाज का दूसरा वर्ग भी है। सब को साथ लेकर चलना है। आप यह भी समझने की कोशिश करिए। कानून मंत्रालय से इस बारे में बात हो रही है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। हम इस काम को जल्दी से जल्दी करके, और भी संविधान संशोधन करके, उस परिपत्र को वापस लेने के प्रयास में लगे हैं। इसमें चिता की बात नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Akhilesh Singh....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Kunwar Akhilesh Singh is saying. *(Interruptions)* â€¦*

(*Not Recorded.)